F1 (24)/E III (B)/74
Bro Expdn.
dt. 19th Sept. 74
detached on
21/8/84

पत्र सं० 1(37)-ई-III(बी)/74
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 5-2-1975

कार्यालय ज्ञापन
- - - - - - - -

विषयः- बाह्य सेवा के दौरान देय पेंशन की लागत के लिए मासिक अंशदान की संगणना।

....

मुझे, इस मंत्रालय के 9-8-74 के कार्यालय ज्ञापन सं०फा० 19(24)-ई V (ए)/73 का हवाला देने का निदेश हुआ है। उसमें दिए गए आदेशों के संदर्भ में 31-12-72 को लागू आदेशों के अंतर्गत यथा स्वीकार्य महंगाई भत्ते और अंतरिम राहत को ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामलों में, जो तारीख 1-1-73 के पश्चात् संशोधित वेतनमान के लिए विकल्प दें अथवा अपने वर्तमान वेतनमानों को बनाए रखें, पेंशन तथा मृत्यु व सेवा निवृत्ति उपदान के प्रयोजन के लिए, परिलब्धि माना जाता है।

यह प्रश्न उठाया गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के बारे में जो बाह्य सेवा पर हैं, पेंशन अंशदान की वसूली के लिए क्या आधार होना चाहिए। मामले की जांच की गई है और राष्ट्रपति जी ने यह फैसला किया है कि अंशदान की वसूली के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सचिवालय सेवा(संशोधित वेतन) नियमावली, 1973 में प्रकाशित तदनुरूपी संशोधित वेतनमानों को संगणना का आधार माना जाना चाहिए।

2. ये आदेश 1-1-73 से प्रभावी हैं।

3. जहां तक भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों का संबंध है ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके जारी किए गए हैं।

कृपा सिंह

(कृपा सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और उनके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालय।

2. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक।
3. राष्ट्रपति सचिवालय/उपराष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री सचिवालय/ लोकसभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय।
4. सर्वोच्च न्यायालय/निर्वाचन आयोग/संघ लोक सेवा आयोग।
5. कार्यान्वयन कक्ष।